



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-9/कृषि/2014-15/

दिनांक 21 जनवरी 2015

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) में रबी 2014-15 के दौरान की बीजाई की गई जिसमें 771.2 है0 सरसों, 328.4 है0 चना, 52.0 है0 तारामीरा, 103.8 है0 सब्जियाँ व अन्य कम क्षेत्र में बोई गयी फसलों की कटाई व कटाई से सम्बंधित कार्य हेतु चकवार सीलबन्द निविदायें/खुली बोली दिनांक 17-फरवरी, 24-फरवरी व 3 मार्च-2015, को अपराह्न 3-00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदायें श्रीमान् निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर के नाम मयं धरोहर राशि रू0 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति चक का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। असफल निविदादाता/ बोलीदाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता/ निविदा दाताओं की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एंवम शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे ली जा सकती हैं व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा फार्म रुपये 100.00 नकद जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

रबी फसल कटाई एवं गहाई के नियम व शर्तें

1. प्रत्येक बोलीदाता/ निविदादाता को बोली में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक के लिए रु0 5000/ - (रु0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा अथवा सलग्न करना होगा।
2. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बड़े-बड़े ढेर/ मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डली लगानी है। ठेकेदार को अपने निजी थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई कार्य कराना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
3. प्रत्येक चक की निविदा/ बोली अलग-अलग चकवार करायी जायेगी।
4. नकद राशि के आधार पर चक की बोली छूटते ही तुरन्त समस्त राशि की 25 प्रतिशत राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा / पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
5. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
6. गहाई (थ्रेसिंग) की गयी फसल का नीरा पूर्णतया दाना रहित होना चाहिए तथा उसका बकाया पूरा पैसा जमा होने पर गेट-पास पर ही नीरा ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/ गहाई का कार्य में शीघ्र ही पूरा करना होगा।
8. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर हर हालत में शीघ्र ही उठाना होगा अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को जलवा दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य में विलम्ब होता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा राशि तथा तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त करके उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. ठेकेदार को समस्त कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही उसकी जमा धरोहर राशि वापस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. ठेका स्वीकृत होने पर सम्बंधित ठेकेदार को दस रु0 के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तें टाइप करवाकर तथा ठेकेदार के हस्ताक्षर कर उसे नोटरी वकील से तस्दीक करवाकर इस कार्यालय में पेश करना होगा, इसके बाद ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
13. यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
13. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।